

कोट फीस 1.50 रू0 अनुसूचित जाति
को छोड़कर

राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि:
4. जन्म का स्थान:
5. पता:
(क) मकान नम्बर:
- (ख) मोहल्ला:
- (ग) ग्राम व राजस्व ग्राम:
- (घ) तहसील:.....थाना.....
- (ङ) जनपद:.....
6. निवास की अवधि : जन्म से वर्ष भरे
7. प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता :.....
8. क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है :

स्वयं
हस्ताक्षरित
दिनांकित
फोटो

आवेदनकर्ता/अभिभावक का नाम
हस्ताक्षर

आवश्यक दस्तावेज—

1. राशन कार्ड
2. सत्यापन रिपोर्ट

नोट— आवेदन पत्र पूर्ण एवं स्पष्ट भरी जाये।